(b) if so, broad details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV): (a) Government has no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

New Railway Line between Kapadwanaj and Modasa

3747. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any progress has been made in the matter of proposals for construction of the new railway line —Kapadwanaj to Modasa in Gujarat;

(b) if so, broad details thereof; and

(c) if not, reasons for the delay in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (c). The project is being considered for inclusion in the Rolling Plan of Railways which is yet to be finalised.

मध्य रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के रिक्त स्थान

3748. **श्री हुकम सिंह कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य रेलवे में इस समय लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के कितने पद रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में उक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) निम्न श्रेणी लिपिक—605
उच्च श्रेण लिपिक —कोई नहीं

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों (एक चौथाई लेखा विभाग में) की रिक्तियों का एक तिहाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । शेष रिक्तियां , रेल सेवा आयोगों द्वारा सीधी भर्ती कोटा से भरी जाती हैं । लेकिन लिपिक वर्गीय पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगने के कारण सीधी भर्ती कोटा का केवल 75 प्रतिशत ही भरा जा सकता है ।

तदनसार, रेल प्रशासन रिक्तियों को भरने के लिए कारवाई कर रहा हैं ।

उत्तर रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के रिक्त स्थान

3749. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय उत्तर रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) सरकार उक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों की एक तिहाई रिक्तियां (लेखा विभाग में एक चौथाई) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नत द्वारा भरी जाती हैं । शेष रिक्तियां सीधी भर्ती के कोटे के अन्तगत आती हैं जो रेल सेवा आयोगों के माध्यम से भरी जाती हैं । लेकिन, लिपिक वर्गीय पदो के भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण, सीधी भर्ती वाली केवल 75 प्रतिशत रिक्तियां ही भरी जा सकीं ।

अन्य विभागों में उच्च श्रेणी लिपिकों की श्रेणी रिक्तियां और लेखा विगाग में 80 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के द्वारा भरी जाती हैं । लेखा विगाग में 20 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाती हैं ।